न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3031/2002/अलवर

1– रामचमेली पत्नि सीताराम
2– इन्द्रा कुमारी
3– मैनादेवी
4– जसोदा
5– प्रेमकुमार
6– कमलनयन
7– ओमप्रकाश
पुत्री/पुत्रान सीताराम जाति खत्री निवासी ग्राम कुबकाहेडा हाल निवासी कालेखां बाग सराय रोहल्ला के पीछे दिल्ली।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– बालकराम पुत्र आत्माराम जाति खत्री निवासी ग्राम बुकाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल जहांगीरपुरी 137–दिल्ली।
2– अब्दुल पुत्र वली मेव निवासी मुसारी
3– भरनी पुत्र चांवखां निवासी गोतोली
4– शेर मोहम्मद पुत्र चांव खां निवासी गोतोली
5– सत्तार पुत्र जोमा मेव हाल निवासी कुबकाहेडा तहसील तिजारा
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा
7– चांदसिंह पुत्र चिरंजीलाल अहीर
8– श्रीमति सोमोती पत्नि चांदसिंह अहीर
समस्त निवासी पलासोली तहसील व जिला गुडगांव हरियाणा
9– मीरसिंह पुत्र हीरासिंह
10–महावीर सिंह पुत्र हीरासिंह
11–सुभाषचंद पुत्र मीरसिंह
12–अजीतसिंह पुत्र मीरसिंह
13–देवेन्द्र पुत्र महावीर
14– अशोक पुत्र महावीर
15– पुष्पा
समस्त जाति अहीर निवासी बुबलाहेडा तहसील टपूकडा जिला अलवर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री अयुब खान, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, श्री राजेश गौतम व श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–5–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी वादी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी तिजारा में एक वाद बाबत् इस्तकरारहक, तकसीम आराजी एवं हुक्मइम्तनाईदवामी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हिन्दू मुस्लिम फिसादात के बाद वादी का पिता आत्माराम व वादी का चाचा सीताराम को मुश्तर्का तौर पर मौजा बूबकाहेडा तहसील तिजारा में 24 बीघा 1 बिस्वा जमीन आवंटित हुई थी। जिसके खसरा नंबर साबिक 10, 147, 235 मिन, 293, 284 मिन, 407 मिन, 1, 2, 3 थे। प्रतिवादीया रामचमेली ने धोखे से कुछ खसरान की सनद अपने नाम करवा ली और इंतकाल भी तस्दीक करा लिया जबकि उक्त खसरा नंबरान में वादी का भी निस्फ भाग है। अतः वादी को विवादित भूमि में से निस्फ भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उपखंड अधिकारी तिजारा ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 4–1–01 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 23–5–02 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

3— विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी अकेले सीताराम को आवंटन हुई थी तथा सीताराम को ही कब्जा सरकार से मिला था। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण मृतक सीताराम के वारिसान है और आवंटित आराजी की कुल कीमत, कर्जा भी अपीलार्थीगण द्वारा जमा करवाई गई है तथा हकूक खातेदारी सनद हासिल की है एवं खातेदारी का इंतकाल भी अपीलार्थीगण के हक में स्वीकृत होकर तस्दीक किया गया है। वादी ने तो उनके परिवार का हिस्सा है और न ही उसका विवादित आराजी में किसी प्रकार हक व हिस्सा है। वादी बूटाराम का लडका है और बूटाराम के राशनकार्ड में उसका नाम अंकित है। आराजी मुतनाजा की खतौनी संख्या 13 में अकेले सीताराम का नाम दर्ज है। वादी द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि का आवंटन उसके पक्ष में किया गया हो। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों से मिलकर सेटलमेंट के बाद की जमाबंदी में आत्माराम का नाम अंकित करवाया गया है। वादी ने वाद में खरीददारान को भी पक्षकार नहीं बनाया है। अगर बालकराम आत्माराम का पुत्र है तो इस सबंध में सबूत पेश करना चाहिये था। आत्माराम फौत हो गया है। ऐसी स्थिति में आत्माराम की विरासत का इंतकाल भी उसके नाम चढना चाहिये। अगर सनद के बारे में कोई उजरदारी थी तो अपील करनी चाहिये। प्रस्तुत बयनामों की मूल प्रति पेश नहीं की गई है। परीक्षण न्यायालय ने मनमाने तरीके से वाद डिक्री किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बिना किसी आधार के समर्थन दिया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये नियमो से परे अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि सीताराम व आत्माराम दोनो भाई है तथा बालकराम आत्माराम का लडका है। इसलिये आत्माराम के हिस्से की आराजी में बालकराम का अधिकार है। 24 बीधा भूमि इसलिये आवंटित हुई थी कि कार्ड में आत्माराम का भी नाम अंकित था। हिन्दू परिवार में

बडे सदस्य के नाम अगर राजस्व रिर्कोड है तो छोटे सदस्यों के हिस्से समाप्त नहीं होते। उपखंड अधिकारी तिजारा ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी का वाद डिक्री किया है जिसका समर्थन प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा भी किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ संलग्न रिकोर्ड आदि का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीण का बहस में तर्क था कि अपीलार्थी के पक्ष में जारी किये गये पट्टे की अपील वादी प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में हमारी विनम्र राय में जब पट्टे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हो तो उसे नियमित वाद के जरिये भी चुनौति दी जा सकती है। नियमित वाद में दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान होता है। अतः अभिभाषक अपीलार्थी का उक्त तर्क औचित्यहीन है। यदि परिवार के किसी मुखिया अथवा बडे भाई को पाक शरणार्थी/विस्थापित के रूप में आवंटन किया जाता है तो तत्समय रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित परिवार के शेष सदस्यों को भी आवंटित आराजी में हिस्सा नियमानुसार देय होगा। मुख्या अथवा बडे भाई के रूप में आवंटित आराजी का तन्हा मालिक अथवा खातेदार नहीं माना जा सकता। हिन्दू परिवार में यदि बडे भाई के नाम राजस्व रिकोर्ड है तो छोटे भाईयों को उनके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता। उपखंड अधिकारी द्वारा निर्णित तनकी संख्या—1 अनुसार रजिस्ट्रेशन कार्ड दिनांक 29—4—51 में सीताराम व आत्माराम दोनों का फोटों एक साथ खिंचा हुआ है। कार्ड में भी दोनों का नाम अंकित है। साबिक जमाबंदी संवत् 2014 में सीताराम का नाम अंकित है। परंतु उक्त आवंटन पाक विस्थापित परिवार के मुखिया के रूप में किया गया जिसमें राजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज परिवार के शेष सदस्यों का भी हिस्सा है। उपखंड अधिकारी के समक्ष वाद में प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत जवाब में बालकराम (वादी) को बूटाराम का पुत्र होना बताया है तथा यह कथन किया है कि वह आत्माराम का

पुत्र नहीं है। परंतु पत्रावली में उपलब्ध बूटाराम के रजिस्ट्रेशन फार्म में बालकराम को उसके ''सन इन लॉ'' के रूप में दर्ज है। ड्राईविंग लाईसेंस व परिवार कार्ड की प्रति में भी वह आत्माराम के पुत्र के रूप में दर्ज है तथा एग्रीमेंट बॉन्ड बाबत् बंटवारा जो कि 2/–के स्टाम्प पेपर पर लिखित है, में भी स्वयं रामचमेली पत्नि सीताराम ने भी उसे आत्माराम का पुत्र माना है। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से जाहिर है कि नकल मिसल हकीयत संवत् 2029 भू प्रबंध विभाग में सीताराम के नाम 1/2 हिस्सा व बालकराम पुत्र आत्माराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। दिनांक 29–10–75 को मु0 रामचमेली के द्वारा मैनेजिंग ऑफीसर देहली के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधार पर उसको परिवार के मुखिया के रूप में सनद जारी की गई तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी 2044 में मु0 रामचमेली बेवा सीताराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई। उक्त प्रार्थना पत्र व इसके क्रम में जारी उक्त आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि मु0 रामचमेली के द्वारा आत्माराम के बाबत् तथ्यों को स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं किया तथा आत्माराम का शपथ पत्र पेश नहीं कराया तथा गलत तथ्य प्रस्तुत कर हैड ऑफ फैमिली बनकर सनद पट्टा जारी करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 6–9–53 में भी दोनों भाईयों सीताराम व आत्माराम का कब्जा काश्त बताया गया है तथा सहायक भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 17–5–57 को जारी पत्र में सीताराम व आत्माराम दोनों को बकाया राशि बाबत् लिखा गया है। पत्रावली में संलग्न एग्रीमेंट बॉन्ड बंटवारा दिनांक 30–6–68 को 2/–रूपये के स्टाम्प पेपर लिखा गया है जिसमें रामचमेली, आत्माराम व अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर है। उक्त एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन कार्ड में सीताराम के साथ आत्माराम के नाम के भी अंकन होने का उल्लेख है तथा आत्माराम की मृत्यु के उपरांत उसके वारिस बालकराम का मौजूद होना अंकित किया है। उक्त एग्रीमेंट में प्रश्नगत आराजियात का बंटवारा दोनों पक्षों के मध्य होने का उल्लेख है। उपखंड अधिकारी के द्वारा तनकी संख्या–4 में यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि शपथ पत्र तादादी 3/–रूपये पर प्रेम कुमार पुत्र सीताराम के द्वारा आत्माराम को अपना ताउ तथा उसके वारिस बालकराम को भूमि का 1/2 हिस्सा माना है तथा रामचमेली द्वारा 2/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित एग्रीमेंट बॉन्ड बंटवारा में भी रामचमेली व उसके वारिसान ने बालकराम पुत्र आत्माराम को 1/2 हिस्सा भूमि का बंटवारा किया है तथा आत्माराम के फौत होने पर मिसिल बंदोबस्त 2029 में बालकराम 1/2

हिस्सा आलोटी गैर खातेदार दर्ज है। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या–4 को वादी के पक्ष में निर्णित किया है।

8– अपीलांट का मुख्य कथन है कि रेस्पोडेंट/वादी बालकराम उनके परिवार का हिस्सा नहीं है तथा वह बूटाराम का पुत्र है। परंतु रजि0 फार्म बूटाराम के अवलोकन से यह जाहिर है कि वह बूटाराम का दामाद के रूप में दर्ज है। ड्राईविंग लाईसेंस, परिवार कार्ड व प्रेम कुमार तथा रामचमेली के द्वारा निष्पादित शपथ पत्रों/ एग्रीमेंट बाबत् बंटवारा में बालकराम को मृतक आत्माराम का पुत्र होना तथा सीताराम के नाम पाके विस्थापित परिवार के मुखिया की हैसियत से आवंटित भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार माना है। पाक विस्थापित संयुक्त परिवार के मुखिया के रूप में सीताराम को आवंटित भूमि में रजि0कार्ड में अंकित परिवार के शेष सदस्यों का भी हिस्सा माना जावेगा तथा सीताराम की मृत्यु के उपरांत बेवा रामचमेली के द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर मैनेजिंग ऑफीसर देहली से जो सनद जारी करवाई है और इस आधार पर हैड ऑफ फैमिली बनकर जो राजस्व रिकोर्ड में समस्त भूमि का अंकन अपने स्वयं के नाम कराया है उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय उपखंड अधिकारी के द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों के समुचित विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को पुष्ट किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परीलक्षित नहीं है।

9– उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10– परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष